आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25/01/23	अभिलेख उपस्थापित / अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
17.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 18.04.2023 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।	

18.04.2023

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 12.05.2023 को रखें।

18.4.23

अंचल अधिकारी,
मनातू।

अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। कि मौजा सेलारीकलां खुर्द, थाना सं0 476 खाता सं0– 37, प्लौट सं0 854 रकबा 1.80 ए है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं0 180/IV पर सतीश साव वो सहदेव साव s/o बाबूलाल साव, के नाम से मांग कायम है।

अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अमीन के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है। वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
मनातू।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25-01-2023	अभिलेख उपस्थापित / अभिलेंख का अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक / अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
17-02-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 08-04-2023 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
08-04-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक / प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। स्मारित करें। अभिलेख दिनांक 02-05-2023 को रखें। अंचल अधिकारी मनातू	

02-05-2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 12-05-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

12-05-2023 अभिलेख उपस्थापित।

जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती पर्चा केश नं0 205/2002-2003 एवं नक्शा की प्रति जमा की गई है। समर्पित किए गए राजस्व कागजातों की प्रति के अनुसार राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 14-07-23 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

14-07-2023 अभिलेख उपस्थापित।

अन्य कार्य की व्यवस्तता के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं की जा जा सकी। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 08-08-2023 को रखें।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

08-08-2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं0 184/IV पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/श्रीमति. सतीश साव व सुखदीप साव s/o बाबूलाल साव दर्ज किया गया है। परिर्वतण के प्रधिकार कॉलम में बंदोवस्ती वाद सं0 205/2002-03 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी
मनातु, पलामू।

विषय:- संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं. 65/2016-17 से संबंधित स्थल जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांगत संबंधि प्रतिवेदन करना है, कि संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी केस नं. 65/16-17 के सम्बन्ध में स्थल जाँच हेतु ग्राम-सिलदिलीया खुर्द थाना-मनातु, थाना नं. 478 गया। जाँचोउपरांत निम्नवत पाया।

खाता	प्लोट	रकबा	बन्दोबस्ती चौहद्दी	मन्तव्य
37 -	854 -	1.80ए०	उ० - मंजु देवी द० - श्रवन साव पु० - डैम मालिक प० - सिवाना बलालपुर	स्थल पर जाकर देखने से स्पष्ट पता चलता है, की बन्दोबस्ती की गई भूमि वन सिमा के अन्दर है। वर्तमान में स्थल पर सखुआ के पेड़ हरा भरा है। बन्दोबस्तधारी के दखल में नहीं है।

उपरोक्त बन्दोबस्ती केस नं.- 205/02-03 बनाम संतोष साव है।

अत: आवश्यक कारवाई हेतु स्थल जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित है।

विश्वास भाजन

[signature]

अंचल अमीन
मनातु
08/06/23

सेवा में

अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

विषय :- संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी केस न० 65/2016-17 से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में प्रतिवेदित करना है कि संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबन्दी केस न० 65/2016-17 के सम्बंध में जाँचोपरान्त पाया कि मौजा सिलदिलीया खुर्द के मॉग पंजी II के पेज न० 184/IV पर मॉग धारी रैयत सतीश साव वो सकलदीप साव पिता बाबूलाल साव के नाम से मॉग कायम है। आफ लाईन मॉग पंजी II के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है।

मौजा	खाता	प्लौट	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
सिलदिलीयाखुर्द	37	854	1.80 ए०	बन्दोबस्ती वाद स० 205/2002-03 के अनुसार दर्ज किया गया।

उपर्युक्त वर्णित भूमि का लगान वसूली अंतिम रसीद स० 5473227 दिनांक 27-06-2002 दर्ज है। मॉग धारी रैयत से भूमि संबंधित दस्तावेज की मॉग किया गया। जिसमें आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया। अंचल कार्यालय से पुन: नोटिस निर्गत करते हुए एंव अंचल अमिन से भूमि सत्यापन कराते हुए अग्रतर कार्वाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन
K
12/04/23
R.S.I

महाशय,
जमाबंदी रैयत द्वारा सूचना निर्गत के पश्चात बन्दोबस्ती पर्ची, नक्सा एंव लगान रसीद की छाया दाखिल की गई है। पंजी II में उक्त बन्दोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी दर्ज किया गया है। जिसके प्राधिकार कालम में दर्ज है।
अत: उक्त मामला संदेहास्पद/संदिग्ध अथवा 4(H) के अन्तर्गत नहीं आता है।

K
4/07/23
R.S.I

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2024.01.16 13.02.26 +05:30
Location: 192.168.114.140